Representation on Missing Wagon

1945. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Government have received any representation on missing of wagons from Government of Gujarat and Gujarat Electricity Board;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of railway wagons missing since 1996;

(d) the amount claimed by the Gujarat Electricity Board; and

(c) the amount paid?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAM NAIK): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) A letter has been received from the Government of Gujarat regarding missing of coal rakes meant for the Power Houses-of Gujarat Electricity Board (GEB).

The GEB has lodged claims for 75,464 less coal wagons received from the Railways during the period January 1996 to December 1997. Match delivery of 76,552 coal wagons has been granted to GEB against the booked wagons. Reconciliation of missing coal wagons of GEB Power Hoses, with unconnected' diverted coal wagons being delivered to these Power Houses against shortage, is an on-going process and, at the close of April 1998, 1088 extra coal wagons have been supplied to the GEB.

As claims are offset by match adjustment on wagon basis, monetary value of the claims is not maintained.

कंटेनर कापोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रेल के बीच सामनों के परिवहन हेतु समझौता

1946. **श्री मोहम्मद मसूद खान**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय रेक के बीच सामानों के परिवहन के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है;

(ख) क्या कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बुक किए गए ऐसे सामान, जो उनके गन्तव्य स्थान पर रेलवे स्टेशन पर पड़े है, के वर्षा अथवा अन्य कारणों से खराब होने के लिए रेलवे जिम्मेदार होगा;

(ग) क्या रेलवे दावा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 13 और 15 के अंतर्गत इस प्रकार के क्षतिपुर्ती दावों के संबंध में अपील की जा सकती है; और

(घ) क्या कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा परिवहन किए गए ऐसे क्षतिग्रस्त सामानों के क्षतिपूर्ति-दावों को उपभोक्ता द्वारा किस-किस अधिकारी/ प्राधिकरण/न्यायालय के पास दायर किया जा सकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) रेल मंत्रालय और भारतीय कंटेनर निगम लि. (कनकोर) के बीच हुए समझौते मेन्म भारतीय रेल द्वारा ढुलाई के लिए कंटेनरीकृत यातायात की बुकिंग और सुपुर्दगी, मालभाड़े और उससे संबंधित अन्य प्रभारों के एकत्रण, संबंधित रेलवे को कनकोर द्वारा ढुलाई प्रभारों के भुगतान, उससे संबंधित दस्तावेजों के रख-रखाव, ग्राहकों के दावों के निपटान आदि और समय-समय पर दोनों पक्षों के बीच विशिष्ट सहमति के आधार पर तय सभी अन्य रेल आधारित मामलो के बारे में दिशा-निर्देश शामिल है ।

(ख) जी हां । बहरहाल, कनकोर द्वारा बुक किए गए यातायात से संभंधित सभी दावों का निपटान कनकोर द्वारा किया जाएगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भारतीय कंटेनर निगम लि. के विरूद्ध उसके द्वारा ढोए गए यातायात के संभंध में हानी, क्षति आदि के मुकदमें, यदि कोई हों, उपयुक्त सिविल न्यायालय में दायर किए जा सकते है ।

Recruitment of Constables for SC Candidates

1947. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) Whether South Central Railways, RPF Training Centre, Moulali Ali, Secunderabad has conducted recruitment test for the posts of constables (male) for Scheduled Caste candidates only in April, 1997;

(b) Whether it is a fact that though the recruitment test was conducted for the